**प्रेस विज्ञप्ति**
**16.08.2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में पीडीएस राशन की हेराफेरी से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) को वैध बनाने से संबंधित पीडीएस घोटाला मामले में 02.08.2024 को अलिफ नूर और अनिसुर रहमान (टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष) को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 12.08.2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता द्वारा उनकी ईडी हिरासत को 04 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया।

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें विभिन्न निजी व्यक्तियों को पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए राशन के अनधिकृत कब्जे में पाया गया और धान की फर्जी खरीद में भी शामिल पाया गया।
ईडी की जांच के दौरान पीडीएस घोटाले से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न करने के लिए तीन महत्वपूर्ण तौर-तरीकों का पता चला है, जैसे

- पीडीएस राशन को खुले बाजार में ले जाना,
- पीडीएस वितरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ताजे आटे में पुराने गेहूं के आटे को मिलाना और
- एमएसपी पर फर्जी धान की खरीद।

यह संदेह है कि पीडीएस घोटाले में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की पीओसी उत्पन्न की गई थी। इस मामले में बाकिबुर रहमान, ज्योति प्रिया मलिक, शंकर अध्या और विश्वजीत दास को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था और सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि अलिफ नूर और अनिसुर रहमान ज्योति प्रिया मलिक और बाकिबुर रहमान के करीबी हैं। उन्होंने कथित तौर पर ज्योति प्रिया मलिक और बाकिबुर रहमान की ओर से अपराध की आय प्राप्त की और उसका संचालन किया।

इस मामले में अलिफ नूर, अनिसुर रहमान और बारिक बिस्वास के आवास और व्यावसायिक परिसरों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 30.07.2024 को तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों के साथ 45 लाख रुपये मूल्य का पीओसी जब्त किया गया। ऊपर उल्लिखित निष्कर्षों के अलावा, जांच में यह भी पता चला है कि ये व्यक्ति पीडीएस राशन की हेराफेरी और फर्जी धान खरीद के जरिए पीओसी बनाने में भी कथित रूप से शामिल थे। इससे पहले इस मामले में 12.12.2023 को एलडी स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई थी और 05.03.2024 और 12.04.2024 को पूरक अभियोजन शिकायतें दायर की गई थीं और सभी शिकायतों का संज्ञान एलडी कोर्ट ने लिया था। इसके अलावा, उपरोक्त शिकायतों के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित/प्राप्त संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रार्थना की गई है, जिसमें 149 अचल संपत्तियां और कई बैंक खातों में शेष राशि शामिल है, जिनका बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।

आगे की जांच प्रगति पर है।